मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

हर वोट कीमती ● हर निकाय महत्वपूर्ण

डी.एम.एम. को सीलबंद करने की प्रक्रिया

1. वर्ष 2014–15 में ई.व्ही.एम. से आयोजित किए जा रहे नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के कंट्रोल यूनिट में एक डी.एम.एम. (डिअटैचेबल मेमोरी मॉड्यूल) फिक्स है, जिसमें मतदान का डाटा रिकार्ड रहता है। मतगणना उपरांत परिणाम घोषित करने के बाद डी.एम.एम. को कंट्रोल यूनिट से निकाल कर सीलबंद कर सुरक्षित रखा जाना होगा। डी.एम.एम. को सीलबंद कर सुरक्षित रखे जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिए गए है :–

   - डी.एम.एम. को सील करने के लिए प्रत्येक जनपद पंचायत एवं प्रत्येक नगरीय निकाय के लिए पृथक–पृथक "सीलिंग कक्ष" कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतगणना स्थल पर निर्धारित किये जायेंगे।
   - प्रत्येक सीलिंग कक्ष के लिए तहसीलदार से अनिम्न स्तर के अधिकारी को सहायक रिटर्निंग (सीलिंग) ऑफिसर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त किया जायेगा।
   - प्रत्येक सीलिंग कक्ष में न्यूनतम 3 और अधिकतम 7 सीलिंग टेबल लगाई जा सकती है। सीलिंग टेबल पर 2 कर्मचारी (सीलिंग प्रभारी एवं सीलिंग सहायक) नियुक्त किये जायेगे। सीलिंग टेबल पर जनपद पंचायत की स्थिति में ग्राम पंचायतवार एवं नगरीय निकाय की स्थिति में वार्डवार सीलिंग की कार्यवाही की जायेगी। सीलिंग की प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी एवं उनके अभिकर्ता उपस्थित रह सकते है और यथा स्थान हस्ताक्षर भी कर सकते है।
   - सीलिंग की कार्यवाही की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से कराई जायेगी।
   - डी.एम.एम. की सीलिंग के लिए निम्नानुसार सामग्री आवश्यक होगी :–
     - सेल्फ एडेसिव डी.एम.एम. सील (30 से.मी. X 3 से.मी.)
     - छोटी प्लास्टिक की डिब्बी (साईज़ 4.5 से.मी.X 4.0 से.मी.X 2.0 से.मी.)
     - डी.एम.एम. रखी हुई छोटी प्लास्टिक की डिब्बी को सील बंद करने का लिफाफा।
     - मध्यम आकार की प्लास्टिक की डिब्बी (साईज़ 10 से.मी.X 6.5 से.मी. X 2.5 से.मी.) जिसमें कंडिका–3 में वर्णित लिफाफा रखा जायेगा।
     - मध्यम आकार की प्लास्टिक की डिब्बी के ढ़क्कन पर चिपकाने हेतु गम एड्रेस टेग।
     - बड़े आकार का प्लास्टिक का डिब्बा (साईज़ 30 से.मी. X 12.5 से.मी. X 7.5 से.मी.)
     - बड़े आकार के प्लास्टिक के डिब्बे के ढ़क्कन पर चिपकाने हेतु गम एड्रेस टेग।
     - लोहे की पेटी (साईज़ 25 इंच X 22 इंच X 18 इंच)
     - बड़ी रबर बैन्ड।
     - ट्रान्सपरेंट सेलो टेप लगभग 3 इंच चौड़ा।
     - लिफाफे एवं लोहे की पेटी को सीलबंद करने के लिए चपडी, मोमबत्ती, माचिस, धागा आदि सामग्री।

2. डी.एम.एम. को सील करने के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जायेगी :—

- कंट्रोल यूनिट से डी.एम.एम. को निकाल कर एक छोटी प्लास्टिक की डिब्बी में बंद किया जायेगा।
- डी.एम.एम. सील के निर्धारित स्थान पर मतगणना से संबंधित प्रविष्टियां दर्ज कर, रिक्त भाग पर अभ्यर्थियों अथवा उनके अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर, यदि उपस्थित हो तो प्राप्त किये जायेगे।
- डी.एम.एम. सील के पृष्ठ भाग से "डी" स्टीकर को हटाकर उसे छोटी प्लास्टिक की डिब्बी पर चिपकाने के बाद डी.एम.एम. सील को डिब्बी के चारों और इस तरह लपेटा जायेगा कि, अग्र भाग के "एम" स्थान पर पृष्ठ भाग के अंतिम सिरे पर अंकित "एम" आकर चिपक जाये।
- अतिरिक्त सुरक्षा के लिए इस डिब्बी के चारों और रबरबैण्ड लपेटा जायेगा।
- इस प्रकार तैयार की गई सीलबंद छोटी प्लास्टिक की डिब्बी को एक लिफाफे में बंद किया जायेगा, लिफाफे पर मतदान केन्द्र एवं मतगणना से संबंधित प्रविष्टियां दर्ज की जायेगी। उक्त लिफाफे को चपड़ी से सीलबंद कर सहायक रिटर्निंग अधिकारी सीलिंग द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगे।
- इस प्रकार तैयार किये गये लिफाफे को मध्यम आकार की प्लास्टिक की डिब्बी में रखा जायेगा। इस प्लास्टिक की डिब्बी के ऊपर निर्वाचन क्षेत्र एवं मतदान केन्द्र से संबंधित प्रविष्टियां गम एड्रेस टेग की सहायता से चिपकाई जायेगी। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए इस डिब्बी के चारों और सेलो टेप चिपकाया जायेगा।
- इस प्रकार तैयार की गई मध्यम आकार की 10 प्लास्टिक की डिब्बीयों को बड़े आकार के प्लास्टिक के डिब्बे में रखा जायेगा। इस प्लास्टिक के डिब्बे पर गम एड्रेस टेग की सहायता से निवार्चन क्षेत्रएवं मतदान केन्द्र के विवरण दर्ज किये जायेगे। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए इस डिब्बे के चारों और सेलो टेप चिपकाया जायेगा।
- एक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित सभी डिब्बे एक लोहे की पेटी में रखे जायेगे। लोहे की पेटी को ताला लगाकर सीलबंद किया जायेगा। सीलबंद पेटी को कोषालय में स्ट्रांगरूम में सुरक्षित रखा जायेगा।
- मतदान केन्द्रों की संख्या कम होने की स्थिति में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के लिखित आदेश से एक लोहे की पेटी में एक से ज्यादा नगरीय निकायों के डी.एम.एम. रखे जा सकते है।

3. म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ 70—47/2014/तीन/1179 भोपाल, दिनांक 27/6/2014 द्वारा समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को पंचायत को ई.व्ही.एम. से पंचायत निर्वाचन से परिणाम घोषित होने के पश्चात् डी.एम.एम. को सील बंद करने के निर्देश दिये गये हैं, जो आयोग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

—*—*—*—

डी.एम.एम. सील प्रारूप

D

पृष्ठ भाग

M

म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग

डी.एम.एम. सील क्रमांक

....

नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन

जिला ....

ननि/नपा/नपं/जनपद पंचायत

....

मतदान केन्द्र क्र.

मतदान केन्द्र का नाम ....

....

DMM क्रं. ....

मतगणना दिनांक ....

डी.एम.एम. में उपलब्ध मतगणना परिणाम

महापौर/अध्यक्ष/पार्षद वार्ड क्र.

....

सरपंच, ग्राम पंचायत ....

जनपद सदस्य, वार्ड क्रं. ....

जि.पं. सदस्य वार्ड क्र. ....

आर.ओ/ए.आर.ओ.
हस्ताक्षर/सील

लिफाफे का प्रारूप

(साईज – 12cm x 9cm)

म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग

नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन

जिला ....

ननि/नपा/नपं/जनपद पंचायत ....

मतदान केन्द्र क्र.

मतदान केन्द्र का नाम ....

DMM क्रं. ....

मतगणना दिनांक ....

डी.एम.एम. में उपलब्ध मतगणना परिणाम

महापौर/अध्यक्ष/पार्षद वार्ड क्र. ....

सरपंच, ग्राम पंचायत ....

जनपद सदस्य, वार्ड क्रं. ....

जि.पं. सदस्य वार्ड क्र. ....

आर.ओ/ए.आर.ओ.
हस्ताक्षर एवं सील

छोटे स्टीकर का प्रारूप

(साईज – 8cm x 5cm)

नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन

जिला ....

ननि/नपा/नपं/जनपद पंचायत ....

वार्ड क्र., नाम/ग्रामपंचायत का नाम ....

मतदान केन्द्र का नाम ....

DMM क्रं. ....

बड़े स्टीकर का प्रारूप

(साईज – 20cm x 6cm)

नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन

जिला ....

ननि/नपा/नप/जनपद पंचायत ....

वार्ड क्रमांक, नाम/ग्राम पंचायत का नाम ....

मतदान केन्द्र क्रमांक

से	तक

—*—*—*—